22

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी : दमयंती कंवर (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 136/2017 — दायर दिनांक–06–11–2017
जी.सी.एम.एस.नं. 2021/39

राजेन्द्र कुमार पुत्र स्वर्गीय श्री प्रभूदयाल **(मृतक)**
1/1 संतरा देवी पत्नी स्वर्गीय श्री राजेन्द्र कुमार
1/2 संतोष पुत्री स्वर्गीय श्री राजेन्द्र कुमार
1/3 मीनु पुत्री स्वर्गीय श्री राजेन्द्र कुमार
समस्त जातिगण चेजारा निवासी चेतनदास बावडी लोहार्गल तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

–आवेदक

– :: बनाम ::–

1– नन्दलाल पुत्र स्वर्गीय प्रभूदयाल जाति चेजारा निवासी चेतनदास बावडी लोहार्गल तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
2. गजानन्द पुत्र स्वर्गीय प्रभूदयाल जाति चेजारा निवासी चेतनदास बावडी लोहार्गल तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
3. प्रमोद पुत्र गजानन्द जाति चेजारा निवासी चेतनदास बावडी लोहार्गल तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
4. शांति देवी पत्नी श्री प्रभूदयाल **(मृतक)**
4/1 मूलकी पुत्री शांती देवी
4/2 अनिता पुत्री शांती देवी
4/3 सुमन पुत्री शांती दवी
जाति चेजारा निवासी चेतनदास बावडी लोहार्गल तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
1. उप–पंजीयक नवलगढ़ उप–पंजीयन कार्यालय नवलगढ़ तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

–अनावेदकगण

वकील आवेदक : – श्री अशोक कुमार जांगीड़
वकील अनावेदकगण :– श्री आनन्दीलाल सैनी

<u>प्रार्थना पत्र : अस्थाई निषेधाज्ञा</u>
<u>अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>
<u>अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 तथा धारा 151 सी.पी.सी.</u>

–:: <u>आदेश</u> ::–

दिनांक 01–12–2022

आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है :– [illegible] इनकी माता है, जो एक ही आवेदक व अनावेदक नम्बर 1 व 2 सगे भाई है तथा अना[illegible] 4 इनकी माता है, जो एक ही परिवार कुटुम्ब के है तथा स्वर्गीय प्रभू[illegible] प्रार्थना पत्र के मद संख्या 02 में [illegible] की सरहद में स्थित दर्ज है। आवेदक व अनावेदक संख्या 01 व 02 की पैतृक [illegible] है जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 697, 707 रकबा क्रमशः 0.8[illegible] 0.69 हैक्टर कुल किता 1.5[illegible] जिसको प्रार्थना पत्र में विवादित भूमि के नाम से सम्बोधित किया जा रहा है जिसकी खातेदारी [illegible] व अनावेदक नम्बर 1 व 2 के स्व0 पिता प्रभूदयाल व दादी बनारसी के नाम से दर्ज शुदा थी। उपरोक्त विवादित भूमि पैतृक है, जिसमें आवेदक का 1/4 हिस्सा है, जिसका अभी तक कोई विधिक बंटवारा नही हुआ है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.06.19 12:59:14 IST
Reason: SelfAttested

ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.)
नवलगढ

आवेदक के पिता व दादी की मृत्यु हो जाने के पश्चात नामान्तरकरण कानूनन उनके सभी वारिसानों के नाम से दर्ज होना चाहिये था परन्तु अनावेदक नम्बर 2 चालाक किस्म का व्यक्ति है तथा राजनीति में भी पहुंच रखता है इसके चलते अनावेदक नम्बर 2 ने ग्राम पंचायत चिराना के तत्कालीन सरपंच से साज करके आवेदक के नाम से नामान्तरकरण नहीं भरवा कर उसकी जगह पर गलत रूप से अपने पुत्र अनावेदक नम्बर 3 प्रमोद को स्वर्गीय प्रभूदयाल का पुत्र बताते हुये नामान्तरकरण अपने पुत्र प्रमोद के नाम दर्ज करवा कर तस्दीक करवा लिया जो विधि वर्णनाओं के विरूद्ध होने पर कानूनन शून्य है। आवेदक के अधिकारों पर बेअसर है तथा कानूनन निरस्तनीय है।

ग्राम पंचायत के सरंपच को वारीसान की सही जांच करके नामान्तरकरण की प्रक्रिया करनी चाहिए थी। नामान्तकरण संख्या 172 दिनांक 05.01.2006 को पटवारी हल्का चिराना द्वारा खोला गया है, जिसका तहसीलदार नवलगढ़ द्वारा बिना आवेदक को सुनवाई किये ही बिना नोटिस दिये बाला–बाला दर्ज किया है, जबकि विरासतन का इन्तकाल इस प्रकार से दर्ज करने का कानूनी अधिकार नही है उक्त गलत नामान्तकरण आवेदक को बिना सुनवाई किये दर्ज किया गया है, जो कानूनन शून्य है। आवेदक के अधिकारों पर बेअसर है कानून का सिद्धांत है कि सभी वारीसान को सुनवाई का अवसर दिये बगैर बिना नोटिस दिये बिना नामान्तरकरण की फोरी कार्यवाही से किसी को कोई कानूनी अधिकार पैदा नही होते है न वैधानिक वारीसान को उनके कानूनी वैध अधिकारों से वंचित किया जा सकता है। गलत नामान्तकरण अनावेदक नम्बर 3 प्रमोद के नाम से हो जाने से आवेदक के शामलाती काश्त कब्जे में कोई फर्क पड़ने वाला नही है लेकिन गलत राजस्व रिकार्ड के कायम रहने से भविष्य में चलकर आवेदक को अधिकारों पर कुठाराधात हो सकता है।

विवादित भूमि पैतृक है भूमि वर्तमान खसरा नम्बर 697, 707 रकबा क्रमशः 0.84, 0.69 हैक्टर कुल रकबा 1.53 हैक्टर जिसमें आवेदक का 1/4 हिस्सा है जिसका रकबा 0.38 हैक्टर के करीब बनता है। उक्त विवादित भूमि में आवेदक का 1/4 हिस्सा था अनावेदक नम्बर 1, 2 व 4 प्रत्येक का 1/4–1/4 हिस्सा है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में आवेदक अपना नाम दर्ज करवा दुरूस्ती करवाना चाहता है जो कि आवश्यक एवं न्यायोचित है। अनावेदक नम्बर 03 प्रमोद का नाम राजस्व रिकार्ड से हटाया जाना कानूनी रूप से आवश्यक है क्योंकि अनावेदक नम्बर 3 प्रमोद स्वर्गीय प्रभूदयाल खातेदार का पुत्र नही है यह अनावेदक नम्बर 2 गजानन्द का पुत्र है, जिसका कोई स्वतन्त्र अधिकार स्वर्गीय प्रभूदयाल की सम्पति में नही है यह अपने पिता के हिस्से की भूमि मे ही अपना हक लेने का अधिकारी है अनावेदक नम्बर 1 लगायत 4 आवेदक को उसके वैधानिक अधिकारों से वंचित करने कि नियत से इस प्रकार की कुचेष्टा की है, जिसका कोई औचित्य नही है।

अनावेदकगण नम्बर 01 लगायत 4 ने विरूद्ध कानून विधि विरूद्ध तरीके अपने मनमाने ढ़ंग से जानते हुवे विवादित भूमि में आवेदक के हिस्से कि भूमि 1/4 हिस्से का गलत नामान्तरकरण अनावेदक नम्बर 03 के हक में दर्ज करवा लिया है नामान्तरकरण संख्या 172 दिनांक 5.01.2006 को आवेदक शून्य घोषित करवाने का अधिकारी है जिसका उसे अधिकार कानूनी रूप से प्राप्त हैं इसलिए शून्य घोषित करवाने नामान्तरकरण पेश करना आवश्यक हुआ नामा[illegible] विरूद्ध होने से स्वतः ही कानूनन निरस्तनीय है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.06.19 12:39:14 IST
Reason: SelfAttested

आवेदक ने प्रार्थना पत्र मे अनुतोष के चाहा है कि [illegible] अनावेदकगण नम्बर 01 लगायत 04 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि विवादित भूमि वर्तमान खसरा नम्बर 697, 707 रकबा क्रमशः 0.84, 0.69 हैक्टर कुल रकबा 1.53 हैक्टर स्थित है जिसमें आवेदक का 1/4 हिस्सा है शामलाती काश्त कब्जे उपयोग उपभोग में किसी प्रकार कि कोई बाधा न तो स्वयं पैदा करे न ही अपने नौकर चाकर प्रतिनिधि सम्बन्धी आदि से करवाये शून्य नामान्तरकरण संख्या 172

ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रै.)

दिनांक 5.1.2006 के आधार पर विवादित भूमि का कोई विक्रय पत्र दान–पत्र किसी अन्य के पक्ष में न तो स्वयं निष्पादित करे न ही अपने किसी मुख्त्यार प्रतिनिधि आदि से करवाये अनावेदक नम्बर 5 को भी अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि विवादित भूमि का कोई विक्रय पत्र दान पत्र अनावेदकगण नम्बर 1 लगायत 4 द्वारा प्रस्तुत करने पर न तो स्वयं तस्दीक करे न ही अपने अधिनस्थ आदि से करवाये अनावेदक नम्बर 6 को भी अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नही करे।

आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी अनावेदकगण जारी की गई। अनावेदकगण संख्या 1, 2, 4 की ओर से वकील श्री आनन्दी लाल सैनी उपस्थित हो अपना वकालतनामा पेश किया गया। अनावेदकगण संख्या 3, 5 व 6 की सम्यक तामिल के बावजूद उपस्थित न्यायालय नही होने से इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

अनावेदकगण संख्या 1, 2, 4 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि आवेदक व अनावेदकगण नम्बर 1 व 2 सगे भाई होना तथा अनावेदक नम्बर 4 इनकी माता होना स्वीकार है। प्रभूदयाल के वंशज होना स्वीकार है लेकिन आवेदक ने वंशावली गलत दर्ज की है स्वर्गीय प्रभूदयाल के 3 पुत्र व स्त्री के अलावा 3 पुत्रियां मूलकी, अनिता, व सुमन भी है जिनका नामा आवेदक ने वंशावली में दर्ज नही किया है।

पैतृक कृषि भूमि ग्राम रामपुरा में स्थित होना स्वीकार है लेकिन उपरोक्त कृषि भूमि में आवेदक अनावेदक नम्बर 1, 2 व 4 के अलावा स्वर्गीय प्रभूदयाल की 3 पुत्रियां मूलकी, अनिता व सुमन का भी हिस्सा है इस प्रकार उपरोक्त वर्णित भूमि में आवेदक अनावेदक नम्बर 1, 2 व 4 के अलावा 3 पुत्रिया इस प्रकार प्रत्येक का उपरोक्त वर्णित भूमि में 1/7 हक व हिस्सा है।

आवेदक के पिता मृत्यु हो जाने के पश्चात नियमानुसार स्वर्गीय प्रभूदयाल के 3 पुत्र स्त्री व 3 पुत्रियां के नाम से नामान्तकरण दर्ज होना चाहिए था, लेकिन उपरोक्त भूमि का नामान्तरकरण आवेदक ने स्वयं ने 3 पुत्र व स्त्री के नाम दर्ज करवाया लेकिन प्रीभूदयाल की 3 पुत्रिया का नाम दर्ज नही करवाया जबकि नियमानुसार प्रभूदयाल की मृत्यु के पश्चात उसके सभी पुत्र पुत्रिया व स्त्री के नाम से नामान्तरकरण भरा जाना चाहिये था, इसलिए नामान्तकरण कानूनन निरस्तनीय है।

नामान्तकरण आवेदक ने स्वयं ने अपना नाम राजेन्द्र की बजाय घरेलू लाड़ का नाम प्रमोद दर्ज करवा कर गलत रूप से 1/7 हिस्से के बजाय 1/4 हिस्से की खातेदारी दर्ज करवायी है जबकि कानूनन पुत्रियों का नाम भी रिकार्ड में दर्ज होना चाहिये था जिनको आवेदक ने अपने प्रार्थना–पत्र मे एवं वंशावली मे छिपाया है जबकि प्रार्थना–पत्र में वर्णित भूमि में आवेदक अनावेदक नम्बर 1, 2 व 4 तथा प्रभूदयाल की 3 पुत्रियां प्रत्येक का 1/7 हक व हिस्सा है इसी अनुसार मोके पर कब्जा व काश्त है।

प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि पर प्रभूदयाल के 7 वारिसान आवेदक अनावेदक नम्बर 1, 2 व 4 व प्रभूदयाल की 3 पुत्रियां मूलकी अनिता व सुमन प्रत्येक का 1/7 हक व हिस्सा है जिससे आवेदक का 1/4 हिस्से की खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी नही बल्कि आवेदक का 1/7 हक हिस्सा है। उपरोक्त वर्णित भूमि में स्वर्गीय प्रभूदयाल के सभी आवेदक अनावेदक नम्बर 1, 2 व 4 तथा 3 पुत्रियां मूलकी, अनिता व सुमन प्रत्येक का 1/7 व 1/7 हक व हिस्सा है जिसके अनुसार राजस्व रिकार्ड दर्ज किया जाना उचित एवं आवश्यक है आवेदक द्वारा अपना हिस्सा गलत बताकर रिकार्ड दुरूस्ती की सहायता चाही है जो कानूनन चलने योग्य नही है।

उपरोक्त भूमि मे आवेदक का 1/7 हक व हिस्सा है आवेदक गलत रूप से अपना 1/7 हिस्सा की बजाय 1/4 दर्ज कर अनावेदकगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा चाहिये जो कानूनन चलने

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.06.19 12:59:14 IST
Reason: SelfAttested

26

योग्य नही है आवेदक व अनावेदक नम्बर 1, 2 व 4 भूमि के सह–काश्तकार है कानूनन 1 काश्तकार अपने अन्य सह–काश्तकार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त नही कर सकता, जिससे आवेदक का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा कानूनन चलने योग्य नही है।

वर्णित भूमि में स्वर्गीय प्रभूदयाल के सभी वारिसान आवेदक अनावेदक नम्बर 1, 2 व 4 व 3 पुत्रियां मूलकी, अनिता व सुमन प्रत्येक का 1/7 – 1/7 हक व हिस्सा है जिससे आवेदक को 1/4 हिस्से की भूमि का विभाजन करवाने का कोई हक व अधिकार नही है, जबकि नियमानुसार प्रभूदयाल के सभी वारिसान प्रत्येक के नाम 1/7 व 1/7 हिस्सा दर्ज कर कानूनन बंटवारा व रिकार्ड दुरूस्ती की जानी चाही थी।

आवेदक ने वास्तविक तथ्य को छुपाते हुए गलत वंशावली दर्ज कर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है आवेदक को कोई प्रथम दृष्टया मामला नही है न ही सुविधा का संतुलन आवेदक के पक्ष में है आवेदक अनावेदकगण को किसी प्रकार से पाबन्द करवाने का अधिकार नही है।

आवेदक स्वयं ने अपना घरेलू नाम प्रमोद दर्ज करवाकर गलत रूप से 1/7 हिस्से की बजाय 1/4 हिस्से का नामान्तरकरण दर्ज करवाया जबकि कानूनन नामान्तरकरण स्वर्गीय प्रभूदयाल के सभी वारिसान के नाम से दर्ज होना चाहिए था।

:: अतिरिक्त उत्तर ::

वादी/आवेदक ने गलत वंशावली दर्ज कर दावा/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है दावे/प्रार्थना पत्र में स्वर्गीय प्रभूदयाल के सभी वारिसान को पक्षकार मुकदमा नही बनाया है जबकि स्वर्गीय प्रभूदयाल के 3 पुत्र स्त्री व 3 पुत्रियां मूलकी, अनिता व सुमन वारिसान है जिनको पक्षकारान बनाये बिना आवेदक का यह प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है।

आवेदक ने गलत रूप से अपना हिस्सा 1/7 की बजाय 1/4 अंकित कर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जबकि प्रार्थना पत्र मे वर्णित भूमि में आवेदक का 1/7 हिस्सा होने से व 1/7 हिस्से की खातेदारी की अधिकारों की घोषणा करवा सकता है। अतः आवेदक का प्रार्थना पत्र मय हर्जा–खर्चा सहित खारिज फरमाया जावे।

जवाब देही प्रस्तुत होने पर बहस वकील उभय पक्ष सुनी गई। दौराने बहस उभय पक्ष के अधिवक्तागण ने प्रार्थना पत्र व जवाब में दर्ज तथ्यों की पुनरावृति की गई। अधिवक्ता आवेदक ने दौराने बहस सूची दस्तावेजात के साथ 6 दस्तावेजात प्रस्तुत किये जिन्हे शामिल मिसल किया। बहस का मनन किया गया तथा पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के निस्तारण हेतु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु तय करना अनिवार्य है। अतः सर्वप्रथम इन तीन बिन्दुओं को तय करना उचित है :–

- **प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन :– दोनों बिन्दुओ का एक साथ विवेचन किया जा रहा है :–**

यह है कि आवेदक प्रार्थना पत्र के मध्यम से [illegible] फौतगी के नामान्तरकरण संख्या 172 के द्वारा खातेदारी गलत रूप से दर्ज होने का उल्लेख [illegible] न्यायालय मे आया है तथा कथन किया है कि प्रभूदयाल के आवेदक पुत्र संतान है प्रमोद नाम की कोई संतान नही है प्रमोद अनावेदक संख्या 2 का पुत्र है। दौराने दावा आवेदक की मृत्यु होने पर उनके वारिसानों को कायम मुकाम प्रतिस्थापित किया गया है जिनका वही अधिकार है जो मृतक राजेन्द्र का था। आवेदक ने प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया है कि विवादित भूमि पैतृक सम्पति है जिसमें 1/4 हिस्सा आवेदक का है परन्तु गलत नामान्तरकरण के आधार पर राजस्व रिकार्ड में आवेदक का नाम दर्ज नही है जिसके कारण

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.06.19 12:59:14 IST
Reason: SelfAttested

ए. सी. ई. एस. (फा. ट्रे.)
मंडलगढ़

विवादित भूमि को अनावेदकगण विक्रय करने पर आमादा है। इसलिए अनावेदकगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जाने का निवेदन किया गया है।

जवाब मे अनावेदक संख्या 1, 2, 4 ने प्रभूदयाल की पुत्रियों क्रमशः मूलकी, अनिता, सुमन पक्षकार नही बनाया है तथा विवादित भूमि में आवेदक का 1/4 हिस्से से इन्कार कर प्रभूदयाल के सातों वारिसों का 1/7 – 1/7 हिस्सा होना दर्ज किया है। अनावेदकगण ने नामान्तरकरण संख्या 172 सही होना उल्लेख किया है। खातेदारी में प्रमोद ही राजेन्द्र है। लाड का नाम प्रमोद होने के कारण नामान्तकरण में प्रमोद का नाम आया है जबकि राजेन्द्र व प्रमोद एक ही व्यक्ति है। इस प्रकार राजस्व रिकार्ड सही बना होना कथन कर प्रार्थना पत्र खारीज करने का निवेदन किया है।

यहां उल्लेखनीय है कि प्रभूदयाल के फौतगी के पश्चात प्रभूदयाल की विधवा व पुत्रों के नाम नामान्तरकरण भरा गया है जिसमें राजेन्द्र का नाम दर्ज नही है। राजेन्द्र व प्रमोद एक ही व्यक्ति है अथवा नही साक्ष्य का विषय है जो दोनो पक्षों की साक्ष्य आने के बाद ही तय हो सकता है। जहां तक पुत्रियों का हिस्सा होने का प्रश्न है। उक्त आपति पुत्रियो को ही उठाने का अधिकार है। पुत्रियों की ओर से न्यायालय में ना तो आवेदन प्रस्तुत किया गया है ना ही खातेदारी अधिकारों से चुनौति दी गई है। अनावेदकगण को अन्य के हित बाबत आपति करने का कानूनी अधिकारी नही है। आवेदक प्रार्थना पत्र में पैतृक सम्पति में 1/4 हिस्सा होने तथा 1/4 हिस्से की सुरक्षार्थ न्यायालय में आया है। विवादित भूमि आवेदक की पैतृक सम्पति है। अनावेदक ने राजेन्द्र का हिस्सा खरीदना दर्ज किया है तथा वर्तमान में खातेदार न होना दर्ज किया है जबकि प्रकरण में स्थगन आदेश जारी है। स्थगन आदेश के दौरान दस्तावेज (विक्रय पत्र) निष्पादित होना व वाद के विचारण के दौरान दस्तावेज (विक्रय पत्र) निष्पादित होना धारा 52 सम्पति हस्तान्तरण अधिनियम के अध्यधीन है। मृतक राजेन्द्र के वारिसान को उक्त दस्तावेज को सिविल न्यायालय में चुनौती दी है जिसकी कार्यवाही विचाराधीन है। चूंकि विवादित भूमि पैतृक है। अगर अनावेदकगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया गया तो विवादित भूमि आगे से आगे विक्रय होने की आशंका से इन्कार नही किया जा सकता जिससे वादों की बहुलता बढ़ने की सम्भवना बढ़ेगी। अनावेदक ने जो आपति की साक्ष्य पश्चात तय की जायेगी। इस स्टेज पर जन्मजात अधिकारों के तहत गलत रिकार्ड बनने व भूमि को हस्तान्तरित होने से बचाने के लिए अनावेदकगण को पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। फलस्वरूप प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन के बिन्दु आवेदक के पक्ष में बनना पाया जाता है।

- **अपूरणीय क्षति** :– चूंकि प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन आवेदकगण के पक्ष में है तो आवेदकगण को अपूरणीय क्षति घटित होती है।

–:: आदेश ::–

उपरोक्त विवेचना अनुसार आवेदकगण द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम रामपुरा पटवार हल्का चिराना की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 697 रकबा 0.84 हैक्टर, खसरा नम्बर 707 रकबा 0.69 हैक्टर के संबंध में जारी अंतरिम आदेश दिनांक 06.11.2017 को तादावा निर्णय कन्फर्म किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमा[illegible] नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो[illegible] न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.06.19 12:59:14 IST
Reason: SelfAttested

(दमयंती कंवर)
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक)
नवलगढ़ जिला झुन्झुनू